

अवर अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदया,

सादर अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र०० जल निगम बु०शहर द्वारा ३२ को०एल०डी० क्षमता का एफ०एस०टी०पी० प्लांट का दादरी गांव मे निर्माण किया गया है, जिसका हस्तानान्तरण नगर पालिका परिपद हापुड को दिनांक-14.06.2023 को हुआ है। जिसके संचालन का कार्य वर्तमान मे नगर पालिका परिपद हापुड द्वारा किया जाना है। एफ०एस०टी०पी०(फीकज स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) पर फीकल र्लज/सीवरेज को संशोधन हेतु भेजा जाता है यदि फीकल र्लज को खुले नालों/ सड़कों या खुले क्षेत्र मे सीधा प्रवाहित किया जाता है तो संक्रमित रोग/गम्भीर विमारियां तथा पर्यावरण मे प्रदूषण के फैलने की सम्भावनाएं बढ़े पैमाने पर बढ़ जाती है। अतः मानवीय हितों तथा पर्यावरण हितों को संज्ञान मे रखते हुए निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र००, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-७ लखनऊ के पत्रांक-423/01/नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक-०७ नवम्बर 2023 से निर्गत पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों मे फीकल र्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध मे आदेशित किया गया है। नेशनल फीकल र्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेन्ट पालिसी 2017, उत्तर प्रदेश सेप्टेज मैनेजमेन्ट पालिसी 2019 स्वच्छ भारत मिशन (अर्वन) 2.0 के दिशा निर्देशों के संदर्भ मे नगर विकास विभाग ने CSE(Centre for Science & Environment) के सहयोग से फीकल र्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए उपविधियों को विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत दी जाने वाली जानकारी/सूचना जैसे-अपशिष्ट जल का प्रवान्धन, आनसाईट स्वच्छता प्रणालियां जैसे-मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन तथा ओ०एस०एस० का डिजाईन निर्माण और रखरखाव, फीकल र्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और दुलाई के लिए लाईसेंस और पंजीकरण, शर्त, आवेदन, शुल्क, वैधता, जागरूकता, फीकल र्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण और परिवहन (दुलाई) से सम्बन्धित कर्तव्य तथा शर्त, फीकल र्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण से सम्बन्धित जानकारी, उपविधि के अनुसार प्रशासन, प्रवर्तन तथा पालिका द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/अधिशासी अधिकारी मे निहित शक्तियां, सेप्टिक टैंक के मानक डिजाईन, विनिर्देशन तथा क्षमता, नगर पालिका परिपद हापुड द्वारा फीकल र्लज निकारी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिए लिया जाना वाला शुल्क (अनुमानित) की सूचि, जिसमे निकाय द्वारा जरूरत पड़ने पर समय-समय पर संशोधन किया जाना, वचाव तथा सुरक्षा उपकरण, पंजीकरण प्रारूप, विधि, नियम व शर्त, उपविधि के अनुसार अपशिष्ट जल/फीकज र्लज से सम्बन्धित शर्तों को ना मानने पर लगाये जाने वाले जुर्माना/फाईन लगाना तथा अन्य संचालन सम्बन्धित जानकारी के बारे मे दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त उपविधि साथ मे संलग्न है-

नगर पालिका परिपद हापुड (दिनांक) _____ 2023-24

संख्या _____ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिपद हापुड द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान मे ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेटिक टैंक/पिट/सोखा) के संग्रहण, दुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेटेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल र्लज एवं सेटेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सीपीएचईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल र्लज एवं सेटेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिविशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देपर रिहैबिलिटेशन एक्ट - 2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग I और II, 1985 (1996 रीअफर्म) - सेटिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008; तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद हापुड़ की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेटिक टैक वाले परों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेटिक टैक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, बाणिज्ञाक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद हापुड़ भवनों पर लागू होगा।

अध्याय - ।

प्रारंभिक

1. संक्षेप - शीर्षक, विस्तार और आरंभ

- इन उपविधियों को 'नगर पालिका परिषद हापुड़ फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023' कहा जा सकता है।
- ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद हापुड़ क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2. परिभाषा

"एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेटिक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रासा जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

"अपेटेट वॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

फीकल स्लज या सेटेज का को-ट्रीटमेंट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल रलज और सेटेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;

"को-ट्रीटमेंट फेसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

"विकेंट्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अपवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

"डिस्टजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अपवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेटिक टैक/पिट से फीकल स्लज एवं सेटेज निकालने की प्रक्रिया;

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेटेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

"एफस्लूर्यंट" का तात्पर्य है सेटिक टैक से निकालने वाला अधिष्ठात्री (द्रव);

"फीकल स्लज एवं सेटेज" का तात्पर्य है सेटिक टैक अपवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी दुई या नीचे बैठी दुई सामग्री;

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेटेज उपचार संयंत्र;

"ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

45

✓

"होस्ट यूएलवी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में 62
निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेटेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल
करने तक होस्ट निकाय होस्ट' बना रहेगा;

"ईनरैनिटरी सेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शोचालयों से है जहाँ रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या
हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

"लाइरोस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा
करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर के अंतर्गत लिया जाता है;

"लाइरोस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइरोसपारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु
निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभायित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेटेज की आपूर्ति और निस्तारण का
स्थान;

"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/ व्यावसायिक/ सरकारी आवास और
उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'धरेलू शोचालय' के समान है, लेकिन
इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेटेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है
प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

"सेनिटरी सेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेटिक टैक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शोचालय और मूवालय
के प्रकार और बनावट जो मल (अधित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से
प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया
हो;

"सेटिक टैक" भूमिगत निर्मित टैक है जो आशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से
फीकल स्लज एवं सेटेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय
द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"शोड्यूल्ड डीस्लिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईओ) की अनुशंसाओं के
आधार पर 2 - 3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"सेटेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेटिक टैक से निकालने वाला फीकल स्लज।

"सीवेज" का अर्थ है ब्लॉक और ग्रे पानी का प्रश्नण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूड वॉटर
भी कहा जाता है।

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"सीवेज पर्मिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी
मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार
मल जल का उपचार किया जाता है।

"निकाय के प्रशिक्षित राफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइरोसी पैक्यूम टैकर का इस्तेमाल कर फीकल
स्लज एवं सेटेज की सफाई करने या उसे खाली करने और दुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और
प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"परिवहन या दुलाई" का अर्थ है लाइरोस पारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक
फीकल स्लज एवं सेटेज की समस्त दुलाई।

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए प्रकारणयामल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या वैज्ञानिक (2) और रेक्टियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्दिष्ट और विशेषितणों के आधार पर वने अधिकृत पीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्लल

"पूर्णवी बलस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ पूर्णवी/पाम पेचाया, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संघर्ष में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ प्रभावी वीडियो की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैक" का अर्थ पेसे वैक्युम टैकर से है, जिसे विनिर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विशित पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय द्वारा विशित पंजीकृत कराया गया हो।

"निर्वात टैकर (वैक्युम टैकर)" पेसा वाहन होता है जिसमें एक पथ और टैकर होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सोएज को वैक्युम की गदद से स्थिरने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेटिंग टैक से निकाले फीकल स्लज एवं सोएज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (पेरेट वॉटर)/पूर्ण वॉटर" का अर्थ घेरेलु/व्यावसायिक अपचार अन्य मानवीय परिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्दिष्ट और ऐप्लिकेशन परिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूनानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मा" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सोएज की फीकल स्लज निकासी, दुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अपचार वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अधाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और गल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय - II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवारीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को नियन्त्रित हित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

- i. यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीधे कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अपचार कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा करे।
- ii. अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समूदाय या स्थानीय द्वारा उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- iii. यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीधे कनेक्शन नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेटिंग टैक या ट्रिन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती है। (देखें परिशिष्ट-1)
- iv. वे परिपत्तियाँ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से अधिक है उनमें एक विकेन्ड्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/प्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय - III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अधिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अधिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से नियन्त्रित हित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे:

- i. उपविधियों के अनुसार प्राप्तिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्माण को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

- ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद हापुड़ या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
- ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।
- परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है।)
- परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनरमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेटिंक टैक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद हापुड़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।
- नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद हापुड़ या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद हापुड़ समय-सीमा के भीतर अपने खर्च पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उत्लंघन की स्थिति में मुधारा / संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।
- नगर पालिका परिषद हापुड़ अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग / सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय IV

फीकल स्लज एवं सेटेज के संग्रहण और दुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- नगर पालिका परिषद हापुड़ वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेटेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैकरों को पंजीकृत करेगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड़ अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेटेज को सुरक्षित तरीके से खाती करने और दुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 2 महीने के भीतर किया जाएगा।
- जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड़ ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेटेज की दुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- इन उपनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

- लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभ्राष्ट 'व्यक्ति' से होगा।
- आवेदक को उचित सक्षम/वैक्यूम और डिस्वार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किए गए पर लेना चाहिए।
- हापुड़ में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।
- आवेदक अपने वैक्यूम टैकर को नगर पालिका परिषद हापुड़ के साथ पंजीकृत करेगा।

- v. आवेदक का यह उत्तरदायित होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए ऐक्यूम टैकर इन विनियमों के संड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित होगा कि नगर पालिका परिषद हापुड या उसके द्वारा किराए पर ती गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
- vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से पीकल स्लज निकालने, उसकी दुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेटेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनिधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेटेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपनिधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के सापेक्ष कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेटेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख सामाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेटेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

- ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 2500.00
- पंजीकरण की वैधता: पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 02 वर्ष तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विवर रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को किरण से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: ₹ 1000.00

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसधारा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान

इन उपनिधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेटेज की सफाई, दुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय V

फीकल स्लज एवं सेटेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लिंग) और परिवहन (दुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

- भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेटेज निकासी और दुलाई के लिए नगर पालिका परिषद हापुड के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अपना प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।
- मालिक/अधिग्राही डीस्लिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेट्रेज की निकासी/दुलाई का शुल्क

- समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेट्रेज निकासी और दुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।
- शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा 'शेड्यूल डीस्लजिंग' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।
- फीकल स्लज एवं सेट्रेज की निकासी और दुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेट्रेज की दुलाई के वाहन

- फीकल स्लज एवं सेट्रेज निकासी और दुलाई कार्य के बतल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद हापुड़ के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।
- आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैकर को समुक्त अपग्रेड करना चाहिए।
- डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेट्रेज की सुरक्षित और कुशल दुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा विद्वित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद हापुड़ वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेट्रेज की दुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- वाहन/टैकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।
- फीकल स्लज एवं सेट्रेज की दुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. दुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्पत से अधिसूचित स्थान तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेट्रेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेट्रेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अपवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा - उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिक्षण ऑफ एम्लॉयमेंट एज मैनेजमेंट सेवेजर्स एंड ट्रैयर रिहैबिलिटेशन एजट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेटेज का निस्तारण

- लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेटेज का निस्तारण करेगा।
- लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म ३ में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेटेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-६ देखें)।
- नगर पालिका परिषद हापुड ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेटेज का निस्तारण करे।

21. निकाय के अधिकार

- निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओप्यु) (परिशिष्ट ७, फॉर्म-४) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेटेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिप्पिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दोरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
- संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर टोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेटेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा किया जाएगा।
- होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेटेज की उस स्थीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।
- एमओप्यु अवधि के किसी भी समय, यदि नगर पालिका परिषद हापुड को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेटेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15-30 दिन पहले इसकी मूचना देगा।

22. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेटेज की फीकल स्लज निकासी, दुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के साथिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

23. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

24. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहितिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनेजमेंट एड द्वारा रिहेक्टिलेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी ओदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेटेज की निकासी, दुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दोरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

25. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मेला ढोने वालों के रूप में रोजगार निवेद्य और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अपवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

४

४

४

अध्याय VI

फीकल स्लज एवं सेटेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

26. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

- नगर पालिका परिषद हापुड उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सुवित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद हापुड के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेटेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

27. फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने के लिए अवसरधना का निर्माण

नगर पालिका परिषद हापुड जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार दुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेटेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28. फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

- फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (महिला/पुरुष) को नियुक्त किया जाएगा।

29. फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने का समय

नगर पालिका परिषद हापुड के नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय 6:00 AM To 8:00 PM समय अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त किया जाएगा।

30. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेटेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31. फीकल स्लज एवं सेटेज पर प्रशिक्षण

नगर पालिका परिषद हापुड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेटेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

32. उपचारित फीकल स्लज एवं सेटेज का दुवारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेटेज के कृपि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेटेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय VII

प्रशासन और प्रवर्तन

33. प्रशासन और प्रवर्तन

- इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- नगर पालिका परिषद हापुड फीकल स्लज की निकासी, दुताई पा उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (प्लजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेटेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- नगर पालिका परिषद हापुड फीकल स्लज एवं सेटेज की निकासी दुताई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोन्स सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

34. जांच के लिए विशेष शक्ति

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद हापुड के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में प्रतिकूल ग्राहनों और फीकल स्लज एवं सेटेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

35. नियम उल्लंघन और जुर्माना

(15)

- i. इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
- ii. किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति - (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित करता है।
- iii. इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उवित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एक एस निकासी/दोने के वाहन भी जब्ता हो सकता है।
- iv. जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका हापुड द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- v. संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी वात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

36. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

37. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद हापुड के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

38. फीकल स्लज एवं सेटेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेटेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

39. संदर्भ प्रतेक

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

40. डीस्टजर के लिए सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समय प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्टजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

41. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेटेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेटिक टैक का डिजाइन

सेटिक टैक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेटिक टैक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आवादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस्टोलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलबल उपचार पर मैनुअल के भाग १ में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेटिक टैक वो आमतौर पर कानून पानी के लिए ही हाइटाइट किया जाता है।

सेटिंक टैक के विनिर्देशन

- आयताकार: लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैक

सेटिंक टैक का अनुशासित आकार

उपयोगकर्ता यी संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेटिंक टैक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेटिंक टैक के आकार का चयन करते समय स्टीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया वीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: प्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएवईईओ, 2012

सेटिंक टैक की क्षमता

टैक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेटिंक टैक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं हैं:

- अवसादन (सेडीमेटेशन): निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 सी.मी/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन: डेजेशन जौन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भंडारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।
- प्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.


सेटिंक टैक का मानक डिजाइन

AB

AB

AB

P 60



काल्पनिक विनियोगी स्टेन्डेशन
दृश्य विनियोगी स्टेन्डेशन के साथ स्वच्छता प्राप्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (पुऱ्जर फीस)
संस्कृत विनियोगी स्टेन्डेशन के साथ स्वच्छता प्राप्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (पुऱ्जर फीस) 2012

परिशिष्ट-2

(खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद हापुड में फीकल स्लज निकासी और सेएज की दुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (पुऱ्जर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र.सं.	श्रेणी	रु. में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1.	कच्चाघर/झोपड़ी	400
2.	टिन शेड प्रकार काघर	800
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1500
4.	दुकान	1600
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2000
6.	बैंक	2200
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	1000
8.	रेस्टोरेंट	2200
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2800
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3000
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	2200

14.	3-स्टार होटल	3000
15.	5-स्टार होटल	4000
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	3000
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (विना सर्विस सेटर)	2000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेटर के साथ)	3000
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (विना सर्विस सेटर)	3000
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेटर के साथ)	4000
24.	मल्टीप्लेक्स	2500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1800
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000
29.	विवाह हॉल / बैकेट हॉल	3500
30.	बार	3000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1800
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2800
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2500
35.	पैथलॉजिकल लैब	2000
36.	निजी अस्पताल (20 विस्तर तक)	2800
37.	निजी अस्पताल (21-50 विस्तर तक)	3000
38.	निजी अस्पताल (50 विस्तर तक)	4000
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	4000

स्रोत: सेण्ट्र फ्रेवेन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट: 1 उपयोगकर्ता शुल्क (पूँजी फ्रीस) की इन सीमाओं में निकायहारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेट्रेज सेट्रेज की निकासी पर आधारित हैं। रेज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सेनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खंड: 7 (viii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

- i. शरीर के सुरक्षा वस्तु मुख्य रूप से पौलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टर होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
- ii. शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा वेल्ट
- iii. सर्जिकल फेस मास्क / रेसियरेटर जो धूल, धुएं, पुष्प और जीवाणुओं आदि से बचाता है
- iv. सेप्टी टॉर्च
- v. भारी रासायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
- vi. संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छीटे झोलने की क्षमता वाले सेप्टी गॉगल्स
- vii. टॉर्च के साथ लगे सेप्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है
- viii. दुबारा इस्तेमाल होने वाला इपरलग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और बैक्यूम टैक्सो के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत खनि स्तर 85dBa से अधिक होता है
- ix. आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किटQ
- x. गैस मॉनीटर
- xi. हेड लैप
- xii. गाइड पाइप सेट
- xiii. सेप्टी ट्राइपॉड सेट
- xiv. बैंडर बूट
- xv. एपर कंप्रेसर और ब्लोअर
- xvi. मॉल्ड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम
- xvii. रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर निगम/नगर पालिका परिषद हापुड़

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज
निकालने वाले
ऑपरेटर/ठेकेदार का
निकाय मोहर के
साथ एक पासपोर्ट

फॉर्म १: निकाय नगर पालिका परिषद हापुड़ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): _____

2. पता: _____

3. पंजीकृत कार्यालयकापता: _____

4. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय) _____ (मो.): _____
ईमेल आईडी: _____

5.

12

स० न	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की ऊमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक बैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						

6. आदर्श हो प्रसिद्धि की भौतिकीय का विवरण, नकार _____
(अवैध उत्तर)
7. ब्रह्म ग्रन्थों की सूची (या प्रमाणित पति) (हाँ/नहीं)

स्मारकों के प्रकार	हाँ/नहीं	स्मारकों के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हाँ/नहीं
प्राचीन इतिहास		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
स्वीकरण इतिहास		फिलोसोफिक		बीमा और पॉलिसी अनुमूली के प्रमाण पत्र	
शैक्षणिक इतिहास		डाइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज़ फोटो	

अनुकूलता की कुल संख्या:

दैनिक यात्रियों के लिए हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुकूल सत्य है। यह भी प्रमाणित करता है कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका प्राप्तन करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो ताहसील के लिए आवेदन किसी भी समय तक करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आदेश के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

नियम और गति

- प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ को केवल एक युगलबी द्वारा जारी ताहसील प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संभवीत किया जाएगा और दूसरी की जाएगी।
- ऑपरेटर द्वारा तक प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ को संयह और दूसरी के लिए शुल्क युगलबी द्वारा लघु-समय एवं नियमित किया जाएगा। कोई भी अनुशासित ऑपरेटर पर/संपत्ति के मालिक से नियमित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं दूसरी।
- प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ की दूसरी युगलबी द्वारा इस प्राप्तन के लिए अनुशासित नाहनी द्वारा ही किया जाएगा।
- ताहसीलप्राप्ति ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि सामान घात से नियमित ताहसील संभवत तक दूसरी के द्वारा प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ का कार्य रिसाव न हो।
- प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ ते जाने वाली नाहन संस्थान के द्वारा जिसी भी शाकसिंक घोलकाल के कारण खर्चिरण के लिए किसी भी घटक से बचने के लिए प्रयोगी संग्रह से सुगमित्र होना चाहिए।
- अनुशासित दूसरी के नाहन संग्रह से ही प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ का नियमित करेगा।
- प्रीकल स्लज़ एवं सेट्रेज़ के नियमित किये जाने वाले नाहन भवे ताहसील की एक प्रति ऐक्सेस से प्रदर्शित वीडियो।
- यहन/टेक्न कर का नेट सर से मेट किमा कामगिरिस में ताहसील से सावधानी के साथ 'septic tank waste' (अंगौली में, और 'मलकुल अवशिष्ट' हिन्दी में, लिखा होगा)।

101.

102.

103.

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 9: am से 6: pm तक फीकल स्लज एवं सेटेज द्वारा करेगा। ऑफिसरों को तदनुसार अपने डीस्लिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और विस्तृत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग द्विपक्षीय करने के लिए तेजत कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होना, लाइसेंसकारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए नियमित दंड का लाइसेंस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद हाइक

निकाय स्लज एवं सेटेज
निकायने दाय
ऑफिसर, उपचार का
निकाय नोहर क
लाइसेंस नम्बर

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेटेज के संग्रहण, दुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेटेज मल-कीचड़ और सेटेज के संग्रहण, दुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

1. आवेदक का नाम: (श्री / सुश्री): _____
2. पत्राचार का पता: _____

3. निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम में फीकल स्लज/सेटेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा: _____
4. मान्यता _____ से _____ तक
5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर: (i) _____ (ii) _____
(iii) _____ (iv) _____

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा प्रियते पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के इसाक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेट्रेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और दुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेट्रेज के संग्रह और दुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञापिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेट्रेज की दुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेट्रेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेट्रेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी स्तरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञापिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेट्रेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेट्रेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 9:00 am से 6:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेट्रेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त विद्युओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेट्रेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेट्रेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिवहन हापुड़ में मल कीचड़ और सेट्रेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक: समय:

1. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम:

2. पता:

.....

(क) वार्ड संख्या: (क) ऐलीफोन नं.:

⑥

II. रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष:
2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY):
3. आउटलेट मौजूद (हाँ/नहीं):
4. यदि हाँ, तो किसरो जुड़ा है:
5. रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेटिंग टैक ट्रिन		द्विन पिट (पंक्तिवाप)	
संग्रह टैक		ट्रिन पिट (अनलाइन)	
सोखता गढ़े के साथ सेटिंग टैक		पूरी तरह से अटे टैक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7.. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III. कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्तर एवं सेटेज की मात्रा (लीटर)
2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय:
3. ट्रिप की तंबाई (किमी):
4. आने-जाने में समय:

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम:

छाली पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर:

 ऊपर टैक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

 उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(५)

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

नगर पालिका परिषद हापुड तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता शापन प्रारूप

फॉर्म 4: नगर पालिका परिषद हापुड पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेटेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता शापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेटेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय(होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता शापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेटेज एवं सेटेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेटेज और सेटेज (फीकल स्लज एवं सेटेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" नगर पालिका परिषद हापुड

द्वितीय पक्ष "एक्सवाईजेड यूएलबी"

उपबंधः

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेटेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)
2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेटेज की दैनिक अनुमति मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेटेज के निस्तारण के प्रति सेप टिप्पिंग शुल्क के रूप में रु..... देने के लिए सहमत है।
4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमति पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेटेज की अनुमति मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।
6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेटेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम

नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष

नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का
हस्ताक्षर

4/4

(4)

परिशिष्ट-४
जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	साकेतिक फाइन सीमा (₹ में)	जुर्माना (₹ या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उत्तराधन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उत्तराधन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100-150	
2.2	लगातार उत्तराधन का दूसरा मामला	5	100-150	
2.3	लगातार उत्तराधन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	विना निकाय पंजीकरण के बैकयूम टैकर परिचालित करना	6	50-100	
3.2	लगातार उत्तराधन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उत्तराधन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000-1500	
4.2	लगातार उत्तराधन का दूसरा मामला	16,17	1000-1500	
4.3	लगातार उत्तराधन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000-10000	
5.2	लगातार उत्तराधन का दूसरा मामला	27,28,33	5000-10000	
5.3	लगातार उत्तराधन का तीसरा मामला	27,28,33	1000-1500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लाज एवं सेटेज प्रवाहित करना	6,7,14,27, 28,29	5000-10000	4

6.2	लगातार उत्तरधन का दूसरा मामला	6,7,14,27, 28,29	5000-10000	
6.3	लगातार उत्तरधन का तीसरा मामला	6,7,14,27, 28,29	1500-2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

(3)

नोट: जुमाने और जुमाने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खंड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम:

2. आवेदक का पता:

3. नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम: पद:

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई:

5. अपील दायर करने की तारीख:

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

..... अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अंतग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विभास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान: तिथि:

अनुत्तम के रूप में जमा किए गए प्रलेख:

यहाँ फाँकें

पावती

संघ्या तिथि:

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन

स्थान: तिथि:

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर पालिका परिषद छापुड़)

(अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

(नगर पालिका परिषद छापुड़)

परिशिष्ट-10

(खंड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
2. उत्तर प्रदेश सेटेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. बिजनौर फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेटेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. एकीकृत फीकल स्लज एवं सेटेज, सेटेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश
7. आईएस: 2470 - 1985, सेटिक टैक की स्थापना और सेटिक टैक के प्रवाह के नियंत्रण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

 - (क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण
 - (ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेटिक टैक के तरल पदार्थ का नियंत्रण।

8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मैन्यू, 2019, सेंटर फॉर साईंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
10. फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12. परीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन (परीकल स्लज एवं सेटेज) के उपरियि, 2020, सेटेज प्रबंधन के लिए उत्तमांश ग्रन्त प्रोटोकॉल।
13. परीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
14. तेलंगाना सरकार का राजपत्र, 2022, परीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन पर उपरियि।
15. सेटेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
16. शीवर और सेटिक टैक की राफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और गहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
17. परीकल स्लज एवं सेटेज / सेटेज, 2019, के लिए उपली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वचता एवं स्वचता संस्थान, नई दिल्ली।
18. प्रोहिविशन ऑफ एप्लॉयमेंट एज मैनुअल सेवेजर्स एंड डेपर रिहिविलिटेशन एक्ट, 2013 का अनु एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

बोर्ड में सामग्र रखने हेतु सादर प्रेषित है।